दिनांक 26.07.2022 को प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में आहुत परिवहन विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम बैठक में आये सभी पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। बैठक में निम्न विभागीय बिंदुओं की समीक्षा की गई।

1. राजस्व संग्रहण
2. शमन
3. दालकोला चेकपोस्ट पर राजस्व संग्रहण
4. ओवर लोड वाहनों पर की गई कार्रवाई
5. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का प्रगति प्रतिवेदन
6. मुख्यमंत्री एम्बुलेन्स योजना
7. **RC PENDENCY/ KMS PENDENCY**
8. फिटनेश का प्रतिवेदन
9. **DL PENDENCY**
10. नीलामपत्र–वाद

समीक्षोपरांत बिंदुवार निम्न निदेश दिए गएः–

(1) राजस्व संग्रहण :–

समीक्षा में पाया गया कि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि की प्राप्ति नही हो रही है। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ की उपलब्धि कम है।

निदेश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक प्रयास किया जाय। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा करेंगे और सक्रिय प्रयास करेंगे।

(2) शमन :–

समीक्षा में पाया गया कि शमन कार्य में वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और प्रयास करने की आवश्यकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी किशनगंज एवं एम0भी0आई0 अररिया की उपलब्धि काफी कम है।

कटिहार में मनिहारी के रास्ते ओवरलोड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने एवं इसकी सघन जॉच का आदेश दिया गया । जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार एवं जिला खनन पदाधिकारी कटिहार संयुक्त रूप से वाहन के जॉच कार्य में तेजी लाएंगे। जिला पदाधिकरी,

कटिहार एवं पुलिस अधीक्षक कटिहार मनिहारी फेरी घाट के निविदा में अंकित सभी शर्तों का पू० अनुपालन करावें और सघन अभियान चलाकर वाहनों की जॉंच करायी जाए। प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक किशनगंज एवं मोटरयान निरीक्षक अररिया को अपने कर्त्तव्य के प्रति सचेष्ट रहने का निदेश देते हुए दो माह के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति करने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी किशनगंज की भी उपलब्धि कम पाई गई।

निदेश दिया गया कि शमन कार्य एक महत्वपूर्ण विभागीय कार्य है। सभी पदाधिकारी वाहनों की नियमित जाँच करें और अवैध परिचालित वाहनों पर सख्ती से शमन अध्यारोपित करें। किसी भी स्थिति में विभागीय लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। निदेश दिया गया कि सभी जिले में प्रत्येक सप्ताह एक विशेष अभियान चलाकर वाहनो की जाँच की जाय। हेलमेट का भी नियमित अंतराल पर जाँच किया जाए। माहवार उपलब्धि प्राप्ति हेतु विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए।

(03) दालकोला चेकपोस्ट पर राजस्व संग्रहण:–

दालकोला चेकपोस्ट पर राजस्व संग्रहण की उपलब्धि मात्र 21.54 लाख प्रतिशत पाई गई। अबतक कुल 16145 वाहनों की जाँच की गई जिसमें मात्र 10205 वाहनों पर दंड अध्यारोपित किया गया। दंड अध्यारोपित ओवरलोडेड वाहनों की संख्या शून्य है।

निदेश दिया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया चेकपोस्ट का सतत् अनुश्रवण करें। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक सप्ताह में दो–दो दिन चेकपोस्ट पर जाएंगे और वहाँ के राजस्व संग्रहण की स्थिति से अवगत कराएंगे। ऑपरेटर के पालीवार रोस्टर के संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र में अंकित निदेश का अनुपालन अगस्त माह से सख्ती से कराया जाय। जिन ऑपरेटरों के द्वारा अपेक्षित राजस्व संग्रहण की प्राप्ति नहीं की जा रही है उनकी सेवा वापस कर दी जाए। दालकोला चेकपोस्ट पर यदि ऑपरेटर की कमी है तो बेल्ट्रॉन से 06 ऑपरेटर की मांग किया जाए।

दालकोला चेकपोस्ट पर वाहनों की सघनता से जाँच किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि पालीवार प्रतिनियुक्त ऑपरेटर/लिपिक द्वारा किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाय। दालकोला चेकपोस्ट पर किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उसे अविलंब प्रतिवेदित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

दालकोला चेकपोस्ट पर लगे सी० सी० टी० वी० को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाए जिसका अनुश्रवण जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ सतत् करेंगें। इस वित्तीय वर्ष में दालकोला चेकपोस्ट की उपलब्धि शत्–प्रतिशत् प्राप्त किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक एवं प्रर्वतन अवर निरीक्षक चेकपोस्ट पर किए गए राजस्व संग्रहण का प्रातिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।

(4) ओवर लोड वाहनों पर की गई कार्रवाई

समीक्षा में पाया गया कि वाहनों के जाँच में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। शमन की प्राप्ति काफी असंतोषप्रद पायी गई वाहनों पर औसतन काफी कम शमन अध्यारोपित किया गया है जिसमें सुधार लाना आवश्यक है।

मोटरयान निरीक्षक अररिया एवं प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक अररिया द्वारा काफी कम वाहनों का जॉच किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ एवं जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया द्वारा भी कम वाहनों का जॉच किया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया को एक माह के अंदर अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

निदेश दिया गया कि परिचालित वाहनों का साप्ताहिक जाँच किया जाय और प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक पक्ष अवगत कराया जाय। शमन अध्यारोपित करने के क्रम में विभागीय निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

समीक्षा में पाया गया कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना की अपेक्षित प्रगति में सुधार हेतु और प्रयास की आवश्यकता है।

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से इस योजना का अनुश्रवण कर लिया जाय। वर्तमान में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के 09 वें चरण का कार्य चल रहा है। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस योजना की अद्यतन प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें। जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया द्वारा बताया गया कि आवंटन नहीं रहने के कारण योजना की प्रगति पर असर पड़ा था किंतु आवंटन प्राप्त हो चुका है। अगले माह योजना की प्रगति परिलक्षित होगी।

(6) मुख्यमंत्री एम्बुलेन्स योजनाः—

समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप एम्बुलेंस क्रय करवा कर सामान्य निबंधन की कार्रवाई की जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन से समन्वय कर आवश्यकतानुसार ऐम्बुलेंस को स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ संबद्ध करवाना सुनिश्चित किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी जिला समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा हेतु इसे रखवायें। जिला पदाधिकारी स्तर से भी विभागीय निदेश के अनुरूप योजना की प्रगति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। एम्बुलेंस योजना के तहत क्रय किये गये एम्बुलेंस का Tagging सिविल सर्जन द्वारा अस्पतालों में किया जा सकता है। ताकि सरकार की योजना का लाभ आम जनता को मिल सके।

(7) RC PENDENCY / KMS PENDENCY :-

समीक्षोपरांत सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निदेश देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को इस कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु कहा गया।

निदेश दिया गया कि सभी डीलरों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। डीलरों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे और उसके बाद भी यदि उनके स्तर पर लंबित मामलों का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उन्हें पूर्ण अवसर देते हुए उनके डीलर शिप को रद करने के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जाए। अगले बैठक से पूर्व लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति होनी चाहिए। डीलरों के विरूद्ध की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया जाए।

के0एम0एस0 का निष्पादन समय—सीमा के अंदर किया जाय।

(8) फिटनेश :—

पूर्णिया जिला में फिटनेश के लंबित मामलों को संज्ञान में लेते हुए उक्त लंबित मामलों का जल्द से जल्द से निष्पादन किये जाने का निदेश देते हुए लंबित रहने के कारण की समीक्षा जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने स्तर से करने का निदेश दिया गया। मोटरयान निरीक्षक पूर्णियाँ बीस दिनों के अंदर लंबित मामलों को निष्पादित करें।

(9) D.L Pendency :–

पूर्णिया जिले में डी0एल के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। उक्त लंबित मामलों का जल्द से जल्द से निष्पादन करने का निदेश दिया गया। अररिया जैसे छोटे जिले में इतने अधिक संख्यां में प्राप्त आवेदन को भी संज्ञान में लिया गया और इसकी सघनता से जॉच करने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया को दिया गया।

(10) नीलाम पत्र वादः–

सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया के कार्यालय में जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णिया एवं अररिया से क्रमशः 88 एवं 55 कुल 143 (एक सौ तैंतालिस) नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले विगत कई वर्षो से लंबित आ रहें हैं। इस पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि रजिस्टर 09 का मिलान 10 से कर नीलामपत्र वाद की वसूली एवं लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति से शीघ्र अवगत करावें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/7/22

27/7/22 27/7/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल,पूर्णियॉ।

ज्ञापांक 322 / दिनांक 28/07/22

प्रतिलिपिः–1. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पूर्णियॉ/अररिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधिक्षक, पूर्णियॉ/अररिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रर्वतन अवर निरीक्षक, पूर्णियॉ/अररिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।
6. जिला खनन पदाधिकारी कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. सिविल सर्जन पूर्णियॉ/अररिया/कटिहार/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यार्थ प्रेषित।

28/7/22

27/7/22 27/7/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल,पूर्णियॉ।